[2024] 8 एस. सी. आर 540:2024 आई. एन. एस. सी 607

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य

बनाम

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य वगैरह

(सिविल अपील सं. 1999 का 4056-4064)

14 अगस्त 2024

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई, ऋषिकेश रॉय, अभय एस. ओका, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्ज्वल भुइयां, सतीश चंद्र शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीशगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या 9-न्यायाधीशों की पीठ का फैसला जो *खनिज विकास क्षेत्र प्राधिकरण बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अन्य आदि* 2024 आई. एन. एस. सी 554 में किया गया को अग्रगामी प्रभाव से लागू किया जायेगा?

हेडनोट्स

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान-संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत का विकास-लक्ष्य और उद्देश्य-इसकी प्रयोज्यता के लिए विचार किए जाने वाले कारकों की-चर्चा की गईः

अभिनिर्धारित किया गयाः संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को तब लागू किया जाता है जब एक संवैधानिक अदालत द्वारा एक अच्छी तरह से स्थापित मिसाल को नया कानून का प्रतिपादन करते हुये जिसको भविष्य से लागू होना करार करके खारिज कर दिया जाता है,उत्तर रेलवे कम्पनी बनाम् सनब्रस्ट ऑइल एण्ड रिफाईनिंग कम्पनी 281 यु०एस० 358 (1932) के अनुसार- अंतर्निहित उद्देश्य अन्याय या कठिनाइयों को रोकना है, - लिंकलेटर

बनाम वॉकर, 381 यू. एस. 618 (1965) पर भरोसा किया गया यह निर्मित करने के लिए कि इस सिद्धांत को यू. एस. में अदालतों द्वारा इस आधार पर लागू किया गया था कि अमेरिकी संविधान "न तो प्रतिबंधित करता है और न ही पूर्वव्यापी होने को आवश्यक बनाता है। " - अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने तीन अलग-अलग कारकों की पहचान शेवरॉन ऑयल कंपनी बनाम हुसन 404 यू. एस. 97 (1971) में किया जिससे अग्रगामी ओवररुलिंग की प्रयोज्यता तय करते समय विचार किया जाना चाहिए (i) संभावित रूप से लागू किए जाने वाले निर्णय को कानून के एक नए सिद्धांत को स्थापित करना होगा, या तो स्पष्ट अतीत की मिसाल को खत्म करके, जिस पर वादियों ने भरोसा किया होगा, या पूर्व धारणा के किसी ऐसे मुद्दे को तय करके, जिसके समाधान का पूर्वाभास नहीं था; (ii) अदालत को प्रत्येक मामले में गुण और अवगुणों को, विचाराधीन नियम के पूर्व इतिहास, उसके उद्देश्य और प्रभाव को देखकर, और क्या पूर्वव्यापी संचालन नियम के संचालन को आगे बढ़ाएगा या बाधित करेगा, और (iii) क्या गैर-पूर्वगामी नियम का उपयोग पर्याप्त असमान परिणामों, अन्याय या कठिनाइयों से बचाता है। [पैरा 5,6]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 142-भारत में संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत का अनुप्रयोग-समझाया गया।

अभिनिर्धारित किया गया किः गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) 2 एस. सी. आर. 762 पर भरोसा करते हुए, अभिनिर्धारित किया कि संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को केवल संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में लागू किया जा सकता है और इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है क्योंकि इसके पास भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी कानून घोषित करने का आधिकारिता है। -कानून के पूर्वव्यापी संचालन को सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि उसे न्याय के अनुसार ढाला जाएसर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले में

न्याय को स्थापित करने के लिए राहत को ढाला जाता है, अनुच्छेद 142 से प्राप्त होता है। -यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने पहले के फैसले को पलटते हुए लागू किया जाता है, जो अन्यथा अंतिम था-यह पहली बार भी किसी मुद्दे पर निर्णय लेते समय लागू किया जाता है। [पैरा 9,10]

अग्रगामी अतिनिर्णय के सिद्धांत के अनुप्रयोग से प्रकट होने वाले सिद्धांत-जिन पर चर्चा की गईः

अग्रगामी अतिनिर्णय का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है जिससे निम्मलिखित सिद्धांत प्रकट होते हैः-अग्रगामी ओवररुलिंग के सिद्धांत का अनुप्रयोग-शक्ति मिलने का दावा की गई राहत को रुपांतरित के लिए न्याय के हित में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता अनुच्छेद 142 से प्राप्त होता है-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पहले के फैसले को पलटते हुए, जो अन्यथा अंतिम-या, के आधार पर लागू किया जाता है। इसे पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लेते समय भी लागू किया गया है।-इसका उद्देश्य व्यापक जनहित में घोषणा की तारीख से पहले की गई सभी कार्रवाइयों को मान्य करना है, लेकिन यहसिद्धांत एक अमान्य कानून को मान्य नहीं करता है, लेकिन घोषणाअमान्य होने का मामला भविष्य की तारीख से प्रभावी होता है-ऐसे मामले जिनमें प्राप्त अंतिमता को बचाया जाता है क्योंकि अन्यथा करने से कारण बनता है। अनावश्यक और टालने योग्य कठिनाइयाँ-के निदान के लिए इस सिद्धांत का लागू किया जाता है। अनावश्यक रूप से प्रभावित किए बिना कानून के संचालन का सुचारू रूप से संक्रमणउन लोगों के अधिकार जिन्होंने शासित कानून के तहत कार्य किया-को बचाने के लिए किया जाता है। यह एक उपकरण है जिसका इस्तमाल किया जाता हैः-(i) निपटाए गए मुद्दों को फिर से खोलने के लिए। , (ii) अमान्य कानून के तहत एकत्र की गई राशि का धनवापसी के लिए और (iii) अनेको कार्यवाहियों को रोकने के लिये इस सिद्धांत का प्रयोग सामाजिक और आर्थिक

व्यवधानों से बचने के लिए लागू किया जाता है। और प्रभावित संस्थाओं और संस्थानों को उचित परिवर्तन और समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय दें। [पैरा 11]

अग्रगामी ओवररुलिंग के सिद्धांत का प्रवर्तन खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम इस्पात प्राधिकरण, भारत एवं अन्य वगैरह 2024 आई. एन. एस. सी. 554-अस्वीकृत

अभिनिर्धारित किया गयाःखनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण और बनाम मेसर्स स्टील प्राधिकरण भारत और अन्य आदि 2024 आई. एन. एस. सी. 554 (इसके बाद "एम. ए. डी. ए".) द्वारा सूची II की प्रविष्टियों 49 और 50 के तहत राज्यों की विधायी क्षमता को बरकरार रखा है-यदि एम. ए. डी. ए. (उपरोक्त) को एक संभावित आवेदन दिया जाता है, तो निर्णय की तारीख से पहले अधिनियमित सभी प्रासंगिक कानूनों की वैधता, यानी 25 जुलाई 2024, का परीक्षण इस तारीख को करना होगा - पिछले कानून की कसौटी-पहलुओं पर पिछला कानून सूची। की प्रविष्टि 54 और सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 23 और 50 की व्याख्या के कारण अस्थिर था *इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम में परस्पर विरोधी निर्णय तमिलनाडु राज्य* (1990) 1 एस. सी. सी. 12 और *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड* (2004) 10 एस. सी. सी. 201-किसी वैधानिक अधिनियम के पक्ष में हमेशा संवैधानिकता की धारणा होती है-यदि एम. ए. डी. ए. (ऊपर) संभावित रूप से लागू किया जाता है, प्रासंगिक कर विधियों को अमान्य माना जा सकता है, जिसके लिए राज्यों को धनवापसी की आवश्यकता होती है। निर्धारिती को एकत्र की गई राशि-चूंकि एमएडीए (ऊपर) ने संदर्भ का जवाब दिया और संघर्ष को हल किया, निर्णय को संभावित रूप से लागू करना अनुचित होगा। [पैरा 17]

समता का संतुलन-राज्यों को देय मूलधन पर उपार्जित बकाया ब्याज को माफ किया जाए-राहत दी गईः

अभिनिर्धारित किया गयाः राज्यों और कर निर्धारकों के वित्तीय हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान *केसराम* (ऊपर) से पहले की अवधि के लिए सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 49 और 50 से संबंधित करों की मांग करने से राज्यों को प्रतिबंधित करके प्राप्त किया जा सकता है-*इंडिया सीमेंट* (ऊपर) के तीन दशक से अधिक समय बीत जाने और मामले को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने के एक दशक से अधिक समय बीत जाने को ध्यान में रखते हुए, केसोराम संतुलित होगी यदि राज्य सरकारें उपार्जित बकाया ब्याज को माफ कर दें। निर्धारिती से देय मूलधन पर-यह निर्देश लागू होता है। सभी कर निर्धारकों के लिए, चाहे उन्होंने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया हो प्रासंगिक कानून-जबकि राज्य इन मांगों को लागू या नवीनीकृत कर सकते हैं - एम. ए. डी. ए. (ऊपर) में निर्णय में निर्धारित कानून के संदर्भ में सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 49 और 50 से संबंधित कर, यदि कोई हो, तो कर की मांग किए गए लेनदेन पर लागू नहीं होगी। 1 अप्रैल 2005 से पहले-कर की मांग के भुगतान का समय बारह वर्षों की अवधि में किश्तों में अलग-अलग किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से शुरू-ब्याज और जुर्माना लगाना 25 जुलाई, 2024 से पहले की अवधि के लिए की गई मांगों पर सभी कर निर्धारकों [पैरा 20,22,24,25]

मामला कानून उद्धृत किया गया

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण & एन. आर. आदि, **2024 आई. एन. एस. सी. 554-स्पष्ट।**

गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य [1967] 2 एस. सी. आर. 762; इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु राज्य [1989] पूरक। 1 एससीआर 692:**(1990) 1 एस. सी. सी. 12;** पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड [2004] 1 एस. सी. आर. 564: **(2004) 10 एस. सी. सी. 201;** जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम.की स्थिति हरियाणा

[2016] 10 एससीआर 1:(2017) 12 एस. सी. सी. 1; भारत एल्यूमीनियम को. वी.कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक [2012] 12 एससीआर 327: **(2012) 9 एस. सी. सी. 552-पर निर्भर।**

भारत संघ बनाम मोहम्मद। रमजान खान [1990] पूरक। 3 एससीआर 248:**(1991) 1 एस. सी. सी. 588;** प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल बनाम बी. करुणाकर [1993] सप.2 एससीआर 576:**(1993) 4 एस. सी. सी. 727;** नगर परिषद, कोटा बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड [2001] 2 एससीआर 287:**(2001) 3 एस. सी. सी. 654;** शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ [1952] 1 एस. सी. आर. 89:**1951 एस. सी. सी. 966;** सज्जन सिंह बनाम राज्य राजस्थान, [1965] 1 एस. सी. आर. 933:**1964 एससीसी ऑनलाइन एससी 25**; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य [1973] सप.1 एस. सी. आर 1: **(1973) 4 एस. सी. सी. 225;** बेलसुंड शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम.बिहार राज्य [1999] पूरक। 1 एस. सी. आर. 146:**(1999) 9 एस. सी. सी. 620;** सोमैया ऑर्गेनिक्स (भारत) **लिमिटेड वी.उत्तर प्रदेश राज्य [2001] 3 एस. सी. आर. 33:(2001) 5 एस. सी. सी. 519;** बाबराम बनाम सी. सी. जैकब **(1999) 3 एस. सी. सी. 362;** रेमंड लिमिटेड बनाम एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड **[2000] सप। 4 एससीआर 668:(2001) 1 एस. सी. सी. 534;** सरवन कुमार बनाम मदन लाल अग्रवाल [2003] 1 एससीआर 918:**(2003) 4 एससीसी 147;** रमेश कुमार सोनी बनाम स्टेट ऑफ एमपी [2013] 1 एससीआर 1129:**(2013) 14 एस. सी. सी. 696;** कुमार बनाम भारत संघ [1997] 2 एस. सी. आर. 1186:**(1997) 3 एससीसी 261;** अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1997] 3 एस. सी. आर. 269:**(1997) 5 एस. सी. सी 201;** एम. ए. मूर्ति बनाम राज्य कर्नाटक [2003] सप.3 एससीआर 327:**(2003) 7 एससीसी 517;** श्री महावीर ऑयल मिल्स बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [1996] सप.9 एससीआर 356:**(1996) 11 एस. सी. सी. 39;** न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम सीआईटी [2022] 18 एससीआर 1082:(2023) 6 एस. सी. सी.

649; गौरव कुमार बनाम भारत संघ, **2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1841;** उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य [1991] 2 एस. सी. आर. 105:**(1991) पूरक (1) एस. सी. सी. 430;** अतिबाड़ी चाय कंपनी लिमिटेड बनामअसम राज्य [1961] 1 एससीआर 809:**ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 232;** ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम की स्थिति राजस्थान [1963] 1 एससीआर 491:**ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1406;** एसोसिएशन फॉर लोकतांत्रिक सुधार बनाम भारत संघ (2024) 2 एससीआर 420:**(2024) 5 एस. सी. सी. 1;** चरणजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ **[1950] 1 एस. सी. आर. 869;** बिहार राज्य बनाम बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड। एससीआर 479:**(1997) 2 एस. सी. सी. 453;** मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम संघ भारत का [1996] पूरक 10 एससीआर 585:**(1997) 5 एस. सी. सी. 53;** राज्य राजस्थान बनाम जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड [2011] 10 एस. सी. आर. 993:**(2011) 12 एस. सी. सी. 518;** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रेम चोपड़ा [2022] 2 एस. सी. आर. 990:**2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1770;** के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड [2023] 9 एससीआर 637:**2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 663-संदर्भित।**

ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कं. वि.सनबर्स्ट ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी, **287 यूएस 358 (1932);** लिंकलेटर बनाम वॉकर, **381 यूएस 618 (1965);** चिकोट काउंटी ड्रेनेज डिस्ट्रिक्ट बनाम बैक्सटर स्टेट बैंक, **308 यू. एस. 371 (1940);** शेवरॉन ऑयल कंपनी बनाम हुसन, **404 यू. एस. 97 (1971)-संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

अग्रगामी ओवररुलिंग का सिद्धांत; राहत का मोल्डिंग; समता के सिद्धांत को संतुलित करना।

<u>मामले से उद्दत</u>

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायनिर्णयः1999 की सिविल अपील संख्या 4056-4064

पटना, रांची पीठ, रांची में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.03.1999 से सी.डब्ल्यू.जे.सी सं. 1885/94 (आर), 178/94 (आर), 2251/94 (आर), 2252/94 (आर), 1783/9 (आर), 2591 (आर), 3113/93 (आर), 269/9 (आर) और 268/94 (आर)

के साथ

सिविल अपील संख्या 7937 वर्ष 2019, रिट याचिका (सिविल) संख्या 512 वर्ष 2018, सिविल अपील संख्या 7938 और 7936 वर्ष 2019, सिविल अपील संख्या 6221 वर्ष 2008, सिविल अपील संख्या 5250 वर्ष 2019, रिट याचिका (सिविल) संख्या 729 और 1029 वर्ष 2019, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16028 वर्ष 2021, सिविल अपील संख्या 4286 वर्ष 2023, सिविल अपील संख्या 5682 वर्ष 2007, सिविल अपील संख्या 1295 वर्ष 2008, सिविल अपील संख्या 874, 8269-8271, 8268, 8267, 6135, 8272 और 9458 वर्ष 2013, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16028 वर्ष 2023 ... याचिका (सिविल) संख्या 18600 वर्ष 2013, सिविल अपील संख्या 4332 वर्ष 2013, सिविल अपील संख्या 5329 वर्ष 2002, सिविल अपील संख्या 4993 वर्ष 2006, सिविल अपील संख्या 8273 और 8274 वर्ष 2013, सिविल अपील संख्या 3869 वर्ष 2014, सिविल अपील संख्या 2632 वर्ष 2013, सिविल अपील संख्या 14685 वर्ष 2015, सिविल अपील संख्या 6784 वर्ष 2014, रिट याचिका (सिविल) संख्या 376 वर्ष 2015, सिविल अपील संख्या 10082 वर्ष 2016, सिविल अपील संख्या 886, 4588 और 205 वर्ष 2017, सिविल अपील संख्या 5728-5729 वर्ष 2018, सिविल अपील 1999 की संख्या 4722-4724, 2002 की सिविल अपील संख्या

5333, 5335-5336 और 5332, 2005 की सिविल अपील संख्या 1352, 2006 की सिविल अपील संख्या 1883, 2006 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 722, 2006 की सिविल अपील संख्या 4745, 4990, 5599 और 5649, 2007 की सिविल अपील संख्या 378, 665 और 1180, 2007 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 481 और 906, 2008 की सिविल अपील संख्या 3401, 3400 और 3402, 2011 की सिविल अपील संख्या 8311, 2012 की सिविल अपील संख्या 4293, अपील संख्या 2055 वर्ष 2009, स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 951 वर्ष 2006, सिविल अपील संख्या 4991 और 4992 वर्ष 2006, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 763 वर्ष 2007, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15900 वर्ष 2007, सिविल अपील संख्या 3403 वर्ष 2008, सिविल अपील संख्या 98 वर्ष 2009, स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 613 और 626 वर्ष 2009, सिविल अपील संख्या 4479 और 4478 वर्ष 2010, सिविल अपील संख्या 3643 वर्ष 2011, सिविल अपील संख्या 4710-4721 वर्ष 1999, सिविल अपील संख्या 2174 वर्ष 2009, सिविल अपील संख्या 6497, 6498, 6137 और 7397 ऑफ 2008, सिविल अपील संख्या 96 ऑफ 2009, सिविल अपील संख्या 6499 ऑफ 2008, सिविल अपील संख्या 97 ऑफ 2009 और विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 26160 ऑफ 2008।

<u>पक्षों के लिए उपस्थिति</u>

आर. वेंकटरमणि, भारत के अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, के.एम. नटराज, ए.एस.जी., अमित आनंद तिवारी, सीनियर ए.ए.जी., तपेश कुमार सिंह सीनियर एडवोकेट/ए.ए.जी., शिव मंगल शर्मा, नचिकेता जोशी, अपूर्व कुरूप, विश्वजीत दुबे, अतुल झा, के. परमेश्वर, ए.ए.जी., विक्रांत सिंह बैस, प्रणीत प्रणव, डी.ए.जी., अरविंद पी. दातार, अशोक के. परीजा, अजीत कुमार सिन्हा, डॉ. मनीष सिंघवी, ए.एम. सिंघवी, कैलाश वासदेव, राकेश द्विवेदी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद दातार, एस.के. बागरिया, रूपेश कुमार, मुकुल रोहतगी, विजय हंसारिया, एस.पी. सिंह, एएनएस नाडकर्णी, हरीश साल्वे,

वरिष्ठ अधिवक्ता, जीपी। कैप्टन करण सिंह भाटी, हेमेंद्र शर्मा, सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवारा, अभिजीत सिंह, अनिरुद्ध सिंह, ऐश्वर्य मिश्रा, धनन्जय शेखवत, शिव औतार सिंह सेंगर, दशरथ सिंह, योगेश्वर कृष्णा, सुश्री अंजलि सक्सेना, गुंटूर प्रभाकर, सुनील कुमार जैन, राम लाल रॉय, शिव सिंह यादव, श्रीमती प्रभा स्वामी, निखिल स्वामी, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, निनाद लाउड, अंशुमान श्रीवास्तव, अंकुर सहगल, राजेश कुमार, चिराग नायक, ई. सी. अग्रवाल, एम.एस. अनंत, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, जुबिन दाश, हिमांशु सारस्वत, नवीन कुमार, अभिमन्यु भंडारी, सुश्री स्तुति बिष्ट, सुश्री रूहे हिना दुआ, आरव पंडित, नितेश भंडारी, हर्षित खंडूजा, प्रभात कुमार राय, सुश्री धंक्षी गांधी, शौरजीत चक्रवर्ती, साहिब कोचर, सुश्री निधि सिंह, सुश्री अपराजिता भारद्वाज, रणदीप सचदेवा, मैत्रेय, सुश्री श्रेया अरोड़ा, आदित्य गोयल, अशोक कुमार सिंह, शांतवानु सिंह, सुश्री प्रज्ञा सिंह, अक्षय सिंह, प्रवीण कुमार, सुश्री सुनैना कुमार, कुणाल वर्मा, श्रीमती युगंधरा पवार झा, श्रीमती लावण्या धवन, रितिक गुप्ता, शिवराज पवार, एच. डी. थानवी, निखिल कुमार सिंह, ऋषि माटोलिया, के. वी. मोहन, के.वी. बालाकृष्णन, आर.के. राघवन, सुश्री सुमिता हजारिका, सुश्री मोनसी मेहता, सुश्री पूजा धैया, श्रीमती शीला गोयल, टी.जी. नारायणन नायर, सुश्री प्रिया बालकृष्णन, सुश्री संयुक्ता एच नायर, रमेश बाबू एम.आर., सुश्री प्रिया बालकृष्ण, शिबू देवासिया ओलिकल, सुश्री स्वाति एच. प्रसाद, शांतनु सागर, प्रभात रंजन राज, अनिल कुमार, गुंजेश रंजन, शाश्वत आनंद, श्रीमती दिव्या मिश्रा, मै. गगरात एंड कंपनी, उज्जवल ए. राणा, हिमांशु मेहता, एस. पी. वी. योगेश्वरन, मै. खेतान एंड कंपनी, श्रीमती वनिता भार्गव, संजीव कुमार कपूर, अजय भार्गव, आकाश बजाज, सुश्री मोनिका सिंह, गौरव जुनेजा, सुश्री नंदिता चौहान, अविरत कुमार, सुश्री मुस्कान नारंग, सुश्री प्रेरोना बनर्जी, सुश्री तिजिल ठाकुर , सुश्री आरुषि यादव, नीरज कुमार गुप्ता, पीताम्बर आचार्य, श्रीमती कीर्ति रेनू मिश्रा, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, पवन आर उपाध्याय, सर्वजीत प्रताप सिंह, सरद कुमार सिंघानिया, सुश्री रश्मी सिंघानिया, यश सिंघानिया, धनंजय मिश्रा, सुश्री शैली भसीन, पी.एस.सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू,

भरत सूद, सुश्री मिरांडा सोलमन, सुश्री निवेदिता सुधीर, शैलेन्द्र स्वरूप, सुश्री बिन्दु सक्सैना, सुश्री अपराजिता स्वरूप, ध्रुव सी सक्सैना, उमराव सिंह रावत, कु. आस्था भारद्वाज, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, सुश्री मुस्कान गुप्ता, मिलिंद कुमार, सैयद शाहिद हुसैन रिज़वी, सुश्री नंदिनी सेन मुखर्जी, सुमित टेटरवाल, सुश्री संस्कृति पाठक, एकलव्य द्विवेदी, सुकांत विक्रम, आदित्य प्रताप सिंह, प्रशांत भारद्वाज, अमरजीत गुप्ता, उद्यम मुखर्जी, स्वप्निल पटनायक, सुश्री मनीषा चावा, अग्निभा चटर्जी, सुश्री शगुन ठाकुर, सुश्री बीएलएन शिवानी, रुस्तम सिंह चौहान, सुश्री स्थवी अस्थाना, अश्विन जोसेफ, सुश्री पूर्णिमा सिंह, अनिरुद्ध सिंह, सुश्री श्रेया जैन, सुश्री रुचि कोहली, अभिषेक गुप्ता, सबरीश सुब्रमण्यन, सी. क्रांति कुमार, सुश्री देवयानी गुप्ता, विष्णु उन्नीकृष्णन, सुश्री तन्वी आनंद, सुश्री सौश्रिया हवेलिया ए, नमन द्विवेदी, दानिश सैफी, सुश्री आरजू रावत, सरथराज बी, ख़ुशी मोहम्मद। , मोहित गौरव, अंजुम परवेज़, सुश्री निलोफर खान, जी.एन. रेड्डी, डॉ. चारू माथुर, सुश्री शम्भी जयसवाल, बी.एस. राजेश अग्रजीत, विशाल मेघवाल, अभिजीत शाह, श्यामल कुमार, श्रीमती प्रज्ञा पलावत, सुश्री ज्योति राणा, हर्षा विनोय, सुश्री प्रिया नागर, जतिन नागर, श्रीमती मीतू गोस्वामी, सिद्धार्थ गोस्वामी, सुश्री राज बाला, आकाश शर्मा, टी हरीश कुमार, संदीप कुमार झा, सुश्री अभिनंदिनी शर्मा, सौरभ राजपाल, सुश्री निधि जसवाल, सुश्री शालिनी सिंह, दीपक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अमोघ बंसल, अजय अग्रवाल, आदर्श अग्रवाल, आर.पी. अग्रवाल, राजन नारायण, सनी चौधरी, पद्मेश मिश्रा, संदीप शर्मा, सुश्री रुचिरा गोयल, मै. एआरएस एसोसिएट्स, अर्जुन गर्ग, वी.के. वर्मा, अम्भोज कुमार सिन्हा, श्रीमती माणिक करंजावाला, सुश्री नंदिनी गोरे, सुश्री ताहिरा करंजावाला, अखिल अब्राहम रॉय, रजत दासगुप्ता, सुश्री मानवी रस्तोगी, अमन टी मेहता, मोहम्मद शाहयान खान, सुश्री। अंकिता शर्मा, अर्जुन डी सिंह, एस.एस. श्रॉफ, विनायक शर्मा, अपूर्व शुक्ला, रविंदर कुमार यादव, विनय मोहन शर्मा, श्रीमती प्रभलीन अपूर्व शुक्ला, सुश्री कृतिका यादव, सुश्री देविना सहगल, गौरव केजरीवाल, राजीव कुमार दुबे, आशिवान मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, संतोष कृष्णन, अभिष्ठ कुमार, रामेंद्र मोहन पटनायक, सुश्री पुनम

कुमारी, सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, संदीप सुधाकर देशमुख, निशांत शर्मा, राकेश के शर्मा, रोहित के सिंह, प्रीतम विश्वास, उदय नाथ तिवारी , सुश्री प्रतिभा मालवीय, सुश्री मंजुला गुप्ता, हर्ष पाराशर, कौशिक चौधरी, शांतनु जैन, सुश्री अनुषा अग्रवाल, दीपांशु जैन, अचिंत्य कुमार सिन्हा, कुमार अजीत सिंह, मनीष जैन, सुश्री रशिका स्वरूप, सचिन शर्मा, सुश्री कनिका कलैयारासन, सक्षम गर्ग, ज्योतिर्मय चटर्जी, अभिषेक कुमार पांडे, रमन चितवन सिंह, सुश्री पंखुरी श्रीवास्तव, सुश्री श्रेया माथुर, सुश्री नीलम शर्मा, जतिंदर के भाटिया, गुरुमीत सिंह मक्कड़, के परमेश्वर, शैलेश मडियाल, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, सुश्री रुख्मिणी बोबडे, चितवन सिंघल, रमन यादव, कार्तिकेय अग्रवाल, अमेय विक्रमा थानवी, राघव शर्मा, कनु अग्रवाल, करण लाहिड़ी, मुकेश कुमार सिंह, सुश्री प्रगति नीखरा, अनिकेत पटेल, अतुल दांग, प्रेम सुंदर झा, केदार नाथ त्रिपाठी, मिश्रा सौरभ, सुनील रॉय, सुश्री रितिका गंभीर कोहली, उमर अहमद, आयुष अग्रवाल, विक्रम शाह, तुहिन डे, निखिल कोहली, कुशांक गर्ग, सुश्री कृतिका खुराना, सुश्री सृष्टि जेसवानी, रुत्विक पांडा, सुश्री निखार बेरी, सुश्री। अंशू मलिक, राजीव शंकर द्विवेदी, सुश्री तूलिका मुखर्जी, बीनू शर्मा, वेंकट नारायण, गौरव जैन, सुश्री आभा जैन, सुश्री काव्या झावर, पवनश्री अग्रवाल, सुश्री स्नेहा कलिता, अभिनव हंसारिया, सुश्री नंदिनी राय, जयवीर सिंह, सुश्री शीनू चौहान, संजीव मल्होत्रा, पारिजात किशोर, संतोष साल्वाडोर, प्रवीण स्वरूप, अमीत सिंह, सुश्री परीना स्वरूप, रवि कुमार, देवेश मौर्य, के.पी. सिंह, सुश्री पायल स्वरूप, नित्यानंद महतो, नितिन चौधरी पावुलुरी, सुश्री शिविका मेहरा, सुश्री अनुप्रिया श्रीवास्तव, सुश्री अनुराधा अर्पितम, अक्षज सिंह, सुश्री राधिका मिश्रा, सुनीत चौधरी, वासु वत्स, सुश्री रिद्धि जाद, अभिनव गुप्ता , गोपाल प्रसाद, शिबाशीष मिश्रा, मेसर्स। चैम्बर्स ऑफ कार्तिक सेठ, कार्तिक सेठ, सुश्री श्रिया गिल्होत्रा, सुश्री मैथिली मूंदड़ा, प्रशांत दीक्षित, महेश भाटी, सौरभ चतुर्वेदी, चिरंजीव शर्मा, पुश्किन टंडन, के.आर. शशिप्रभु, जयदीप पटेल, एस. महेश सहस्रनाम, सुश्री शिल्पा बलानी, विष्णु शर्मा ए एस, प्रखर अग्रवाल, कुमार विशालाक्ष, उदित जैन, अर्चित गुप्ता, अभिषेक विकास, मै. ट्राइलीगल एडवोकेट्स ऑन

रिकॉर्ड, सुदीप्त भट्टाचार्जी, ओंकार, रजत मित्तल, अर्ज्यदीप रॉय, विवेक शर्मा, डॉ. विजय कुमार शर्मा, आनंद वर्मा, सुश्री अपूर्वा पांडे, सुश्री अद्याशा नंदा, अक्षत श्रीवास्तव, सुश्री अनुराधा दत्त, सुश्री फ़रेश्ते डी सेठना, तुषार जारवाल, सुश्री सुमन यादव, सुश्री प्रियंका एमपी, हारिस फ़ाज़िली, कुणाल दत्त, यश मित्तल, राहुल सतीजा, राघव दत्त, सुश्री बी विजयलक्ष्मी मेनन, मनीष कुमार सरन, अधिवक्ता उपस्थित पार्टियों के लिए.

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

सामग्री की तालिका*

ए. पृष्ठभूमि. 6

बी. प्रस्तुतियाँ. 6

सी. संभावित अधिमूल्यांकन. 9

डी. परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य

स्थापित करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान. 15

ई. निष्कर्ष. 21

ए. पृष्ठभूमि

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के संदर्भ में निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर दिया।इस प्रक्रिया में, निर्णय ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनामतमिलनाडु राज्य और इस न्यायालय के बाद के निर्णय जो इस पर निर्भर थे।निर्णय की घोषणा के बाद, मूल्यांकनकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्णय को संभावित प्रभाव दिया

जा सकता है।इसलिए, निर्णय को संभावित प्रभाव दिया जाना चाहिए या नहीं, इस पर दलीलें सुनने के लिए कार्यवाहियों को सूचीबद्ध किया गया था।

बी. प्रस्तुतियाँ

2. भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमानी, भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, श्री हरीश साल्वे, श्री अभिषेक मनु सिंघवी, श्री मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने निम्नलिखित दलीलें दींः

क. इंडिया सीमेंट (ऊपर) ने एमएडीए (ऊपर) में इसे रद्द करने से पहले पैंतीस वर्षों तक मैदान पर कब्जा किया।सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 49 और 50 से संबंधित राज्य विधान के तहत कर की मांगों पर इंडिया सीमेंट (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के संदर्भ में रोक लगा दी गई है। प्रभावित पक्षों (जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) ने राज्य शुल्कों को शामिल किया है जो प्रासंगिक समय पर वैध और लागू थे और उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाया है।यदि राज्य विधानसभाओं को कर मांगों को नवीनीकृत करने की अनुमति दी जाती है, तो अंतिम उपभोक्ता अंततः बोझ वहन करेंगे।

ख. इंडिया सीमेंट (ऊपर) में निर्णय के बाद, राज्यों द्वारा एकत्र किए गए शुल्कों को संसद द्वारा अधिनियमित सत्यापन कानून के कारण संरक्षित किया गया था।यदि कोई निर्णय निर्धारिती के लिए दायित्व बनाता है या उसका नवीनीकरण करता है, तो पूर्वव्यापी मांगों के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं है।\

ग. 2015 से, खनिज रियायतों के लिए बोली लगाने वाली संस्थाओं ने इंडिया सीमेंट (उपरोक्त) में कानूनी स्थिति के आधार पर अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की हैं।यदि एमएडीए (उपरोक्त) को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है, तो

यह खनिज नीलामी को आधार बनाते हुए वाणिज्यिक सौदे को फिर से लिखेगा।यह न्यायालय आम तौर पर कर मामलों में पिछले या समाप्त लेनदेन को बाधित नहीं करता है।

घ. भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में संभावित अतिनिर्णय का सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है।एमएडीए (उपरोक्त) को संभावित प्रभाव दिया जाना चाहिए क्योंकि यह नए संवैधानिक सिद्धांतों को निर्धारित करता है; और

ङ. जहां कर कानून के प्रवर्तन को न्यायिक आदेशों द्वारा आंशिक या पूरी तरह से बाधित किया गया था, वहां यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि एमएडीए (उपरोक्त) में निर्णय से पहले की अवधि के लिए, यानी 25 जुलाई 2024 से पहले कोई नई कर मांग नहीं की जानी चाहिए।

3. दूसरी ओर राज्यों की ओर से श्री राकेश द्विवेदी, श्री विजय हंसारिया और श्री तपेश कुमार सिंह ने निम्नलिखित दलीलें दींः

ए. संभावित अतिनिर्णय का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब निर्णय किसी कानून को अमान्य कर देता है या अपने पहले के निर्णय को निरस्त करके एक नई व्याख्या पेश करता है।संभावित अतिनिर्णय का सिद्धांत कभी भी उन स्थितियों पर लागू नहीं किया गया है जहां कानून की घोषणा कर लगाने वाले कानून की वैधता को जोड़ती है।

बी. यदि एमएडीए (सुप्रा) को संभावित रूप से लागू किया जाता है, तो इंडिया सीमेंट (सुप्रा) को 25 जुलाई 2024 तक काम करना होगा।नतीजतन, सभी प्रासंगिक राज्य कानूनों का परीक्षण इंडिया सीमेंट (उपरोक्त) के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा और इन्हें अधिकार से बाहर घोषित किया जा सकता है।यह परिणाम अन्यायपूर्ण और जनहित के खिलाफ है; और

सी. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 3 ए संविधान पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा अधिनियमित कानून की वैधता को बरकरार रखा।केसोरम (उपरोक्त) के बाद, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों ने कानून बनाए जिन्हें संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा बरकरार रखा गया था।एम. ए. डी. ए. (ऊपर) को संभावित प्रभाव देने से भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा होगी।जबकि पश्चिम बंगाल कर एकत्र करना जारी रखेगा (जो वह 1992 से कर रहा है), इसी तरह के अधिनियमों वाले अन्य राज्य अपने अधिनियमों की तारीख से कर एकत्र करने से वंचित हो सकते हैं।

4. हमने उड़ीसा राज्य के महाधिवक्ता श्री पीतांबर आचार्य को भी सुना है, जिन्होंने राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया।

सी. अग्रगामी ओवररुलिंग

5. संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को तब लागू किया जाता है जब एक संवैधानिक न्यायालय एक नए नियम की घोषणा करके एक अच्छी तरह से स्थापित मिसाल को खारिज कर देता है लेकिन इसके अनुप्रयोग को भविष्य की स्थितियों तक सीमित कर देता है।अंतर्निहित उद्देश्य अन्याय या कठिनाइयों को रोकना है।4 इस सिद्धांत को अमेरिका की अदालतों द्वारा इस आधार पर लागू किया गया था कि अमेरिकी संविधान "न तो निषेध करता है और न ही पूर्वगामी प्रभाव की आवश्यकता होती है।" अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक क़ानून या न्यायिक निर्णय के अस्तित्व को एक "ऑपरेटिव तथ्य" के रूप में माना है जिसके "परिणाम जिन्हें उचित रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है" या "एक नई न्यायिक घोषणा द्वारा मिटा दिया गया है।" इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अयोग्यता के बारे में बाद के निर्णय के प्रभाव पर विभिन्न पहलुओं के आलोक में विचार किया जा सकता है।7

6. शेवरॉन ऑयल कंपनी बनाम हुसन, 8 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने संभावित अतिनिर्णय की प्रयोज्यता तय करते समय विचार करने के लिए तीन अलग-अलग कारकों की पहचान कीः(i) संभावित रूप से लागू किए जाने वाले निर्णय को कानून के एक नए सिद्धांत को स्थापित करना होगा, या तो स्पष्ट पिछले उदाहरण को उलटकर, जिस पर वादियों ने भरोसा किया होगा, या पहली छाप के किसी ऐसे मुद्दे को तय करके, जिसके समाधान का पूर्वाभास नहीं था; (ii) अदालत को प्रत्येक मामले में गुण और दोषों को, विचाराधीन नियम के पूर्व इतिहास, उसके उद्देश्य और प्रभाव को देखते हुए, और क्या पूर्वव्यापी संचालन नियम के संचालन को आगे बढ़ाएगा या बाधित करेगा, और (iii) क्या गैर-सक्रियता का उपयोग पर्याप्त असमान परिणामों, अन्याय या कठिनाइयों से बचाता है।

7. इस न्यायालय ने संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है, जो आंशिक रूप से अमेरिका में विकसित न्यायशास्त्र से प्रेरित है। गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, इस न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों की एक पीठ को संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम 1964 की वैधता पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था, जिसमें संविधान की नौवीं अनुसूची में कुछ राज्य कृषि कानून शामिल थे।बहुमत ने माना कि अनुच्छेद 13 के तहत परिभाषा के अनुसार संविधान में संशोधन "कानून" था।इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 (2) के तहत निर्धारित सीमाओं के अधीन हैं।9 परिणामस्वरूप, संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 (2) का उल्लंघन करने के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया।न्यायालय के समक्ष अगला मुद्दा यह था कि क्या निर्णय को संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए।

8. गोलक नाथ (ऊपर) ने इस न्यायालय के पहले के 10 फैसलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि संसद मौलिक कानूनों में संशोधन या उन्हें कम कर सकती है। संविधान के भाग III में अधिकार।राज्यों ने कृषि कानून बनाने के लिए पहले के

फैसलों पर भरोसा किया था।1950 और 1967 के दौरान, स्वतंत्रता के बाद किए गए कृषि सुधारों को मान्य करते हुए संविधान में विभिन्न संशोधन किए गए।इस संदर्भ में, मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बा राव ने कहा कि निर्णय को पूर्वव्यापी संचालन देने से "अराजकता पैदा होगी और हमारे देश में स्थितियां अस्थिर हो जाएंगी।" परिणामस्वरूप, यह देखा गया कि पहले के निर्णयों को निरस्त करना लेकिन निर्णय को भविष्य तक सीमित करना और अतीत तक सीमित नहीं रखना असाधारण स्थितियों को हल करने के लिए एक "उचित सिद्धांत" थाः

> "49. […] **यह वास्तव में दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों का मिलान करने वाला एक व्यावहारिक समाधान है, अर्थात्, कि एक अदालत कानून ढूंढती है और वह कानून बनाती है।** यह कानून पाता है लेकिन इसके संचालन को भविष्य तक सीमित करता है।यह न्यायालय को अतीत पर उन त्रुटियों के प्रभाव को परेशान किए बिना अपनी त्रुटियों को सुधारकर एक सुचारू परिवर्तन लाने में सक्षम बनाता है। **यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह पूर्व सक्रियता की सीमाओं को निर्धारित करे और इस तरह यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राहत को ढालने में सक्षम बनाता है।"**
>
> (जोर दिया गया)

9. मुख्य न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को लागू करने की इस न्यायालय की शक्ति का पता अनुच्छेद 142 से लगाया जा सकता है और इस सिद्धांत की प्रयोज्यता के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव तैयार किए गए हैंः

   ए. इसे केवल संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में ही लागू किया जा सकता है।

बी. यह केवल इस न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है क्योंकि इसके पास भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी कानून घोषित करने का संवैधानिक अधिकार क्षेत्र है; और

सी. कानून के पूर्वव्यापी संचालन का दायरा इस न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह उसके सामने के कारण या मामले के न्याय के अनुसार ढाला जाए।

10. विस्तृत कैनवास रखने के बाद, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकालाः

> "53. [...] फिर हमारे निष्कर्ष का क्या प्रभाव पड़ता है? तत्काल मामला? **संशोधनों के इतिहास, सामाजिक और आर्थिक पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए। हमारे देश के मामले और संविधान से संशोधनों को इस स्तर पर अचानक वापस लेने से जो अराजक स्थिति पैदा हो सकती है, हम सोचते हैं कि काफी न्यायिक संयम की आवश्यकता है।** इसलिए हम घोषणा करते हैं कि हमारा निर्णय संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 की वैधता या मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने वाले संविधान में किए गए अन्य संशोधनों को प्रभावित नहीं करेगा।हम आगे घोषणा करते हैं कि भविष्य में संसद के पास संविधान के भाग III में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं होगी ताकि मौलिक अधिकारों को छीन या कम किया जा सके।"
>
> (जोर दिया गया)

11. हालाँकि गोलक नाथ (ऊपर) को बाद में खारिज कर दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 11 भविष्य का सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा अधिस्थगन को स्वीकार कर लिया गया है।इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को विभिन्न संदर्भों में लागू किया है।इस सिद्धांत के अनुप्रयोग पर निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैंः

ए. मामले के न्याय को पूरा करने के लिए दावा की गई राहत को ढालने की इस न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 142 से प्राप्त होती है;

बी. यह इस न्यायालय द्वारा अपने पहले के फैसले को पलटते हुए लागू किया जाता है, जो अन्यथा अंतिम था।इसे पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लेते समय भी लागू किया गया है;

सी. इसका उद्देश्य व्यापक जनहित में घोषणा की तारीख से पहले की गई सभी कार्रवाइयों को मान्य करना है।14 सिद्धांत एक अमान्य कानून को मान्य नहीं करता है, लेकिन अमान्य होने की घोषणा भविष्य की तारीख से प्रभावी होती है;

डी. जिन मामलों ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, उन्हें बचाया जाता है क्योंकि अन्यथा करने से अनावश्यक और टालने योग्य कठिनाइयाँ पैदा होंगी।

इ. यह ऑपरेशन के सुचारू संक्रमण के बारे में लाने के लिए लागू किया जाता है। शासित कानून पर कार्य करने वाले लोगों के अधिकारों को अनुचित रूप से प्रभावित किए बिना कानून का गठन;

एफ. यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बचने के लिए नवाचार किया गया हैः(i) निपटाए गए मुद्दों को फिर से खोलना, (ii) अमान्य कानून के तहत एकत्र की गई राशि की वापसी, और (iii) कार्यवाही की बहुलता; और

जी. इसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक व्यवधानों से बचने और प्रभावित संस्थाओं और संस्थानों को उचित परिवर्तन और समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए किया जाता है।

12. इस न्यायालय ने अक्सर अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग सीमित करने के लिए किया है अपने निर्णयों की पूर्व सक्रियता।भारत संघ बनाम मोहम्मद।

रमजान खान, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एक अपराधी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न करना प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन होगा।न्यायालय ने कानून को संभावित घोषित किया, लेकिन न्यायालय के समक्ष कर्मचारियों को राहत दी।रमजान खान (ऊपर) की शुद्धता एक से पहले सामने आई प्रबंध निदेशक, ई. सी. आई. एल. बनाम बी. करुणाकर में संविधान पीठ। संविधान पीठ ने रमजान खान (ऊपर) को बरकरार रखा।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि रमजान खान (ऊपर) में निर्धारित कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकिः

क. अपराधी कर्मचारी को एक जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कानूनी स्थिति रमजान खान (उपरोक्त) के समक्ष अस्थिर थी;

ख. अधिकारी इस धारणा पर आगे बढ़े थे कि अपराधी अधिकारी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी; और

ग. रमजान खान (ऊपर) से पहले सभी अनुशासनात्मक कार्यवाही को फिर से खोलने से प्रशासन के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा जो कर्मचारियों के लाभ से अधिक होगा। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि रमजान खान (ऊपर) में निर्णय से पहले किसी भी कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जानी चाहिए कि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता थी।

डी. परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान

13. इंडिया सीमेंट (ऊपर) में, इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक पीठ ने निर्णय दिया कि रॉयल्टी कर है।परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य विधानसभाओं के पास सूची-2 की प्रविष्टियों 23 और 50 के तहत रॉयल्टी पर उपकर

लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है। पंद्रह साल बाद, केसोरम (ऊपर) में एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति राज्य विधानसभाओं के पास निहित है और यह संसद द्वारा खनिज विकास से संबंधित कानून द्वारा निर्धारित किसी भी सीमा के अधीन है।इस विचलन को देखते हुए, एक बड़ी पीठ का संदर्भ दिया गया था।एमएडीए (उपरोक्त) ने सूची I की प्रविष्टि 54 और सूची II की प्रविष्टि 23 और 50 की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इस प्रक्रिया में, इस न्यायालय ने इंडिया सीमेंट (उपरोक्त) को खारिज कर दिया।

14. इस न्यायालय द्वारा संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को उन स्थितियों में लागू किया गया है जहां नई घोषणा के परिणामस्वरूप कानून अमान्य हो जाता है, जो अन्यथा पुरानी घोषणा के तहत मान्य होता। इस सिद्धांत का उपयोग वहाँ भी किया गया है जहाँ इस न्यायालय ने एक कानून को अधिकार से बाहर घोषित किया है। कर लगाने वाले कानूनों के मामले में, इस तरह की घोषणा राज्य को अमान्य कानून के तहत एकत्र की गई सभी राशियों को वापस करने के लिए उत्तरदायी बनाएगी।इसलिए, यह न्यायालय नए नियम को न केवल राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने के लिए बल्कि पुराने शासन के तहत व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा स्पष्ट किए गए अधिकारों और दायित्वों की रक्षा के लिए भी लागू करने की घोषणा करता है।

15. यह न्यायालय आम तौर पर विधानसभाओं की विधायी क्षमता को बरकरार रखते हुए संभावित अतिनिर्णय की घोषणा नहीं करता है।नगर निगम में परिषद, कोटा बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड, यह न्यायालय नगर परिषद द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए नर्मदा कर की वैधता तय करने के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि नगर परिषद कर एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्धारिती को किए गए संग्रह को

वापस करने का निर्देश दिया।अपील में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कर लगाने के लिए नगर परिषद की क्षमता को बरकरार रखा।इसने निर्धारिती को धनवापसी देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को भी दरकिनार कर दिया।

16. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम।हरियाणा राज्य, 26 नौ लोगों की एक पीठ इस न्यायालय के न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि एक गैर-भेदभावपूर्ण कर अनुच्छेद 301 के तहत गारंटीकृत मुक्त व्यापार, वाणिज्य और संभोग के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।इस न्यायालय ने लंबे समय से चली आ रही मिसालों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि क्षतिपूर्ति करों को छोड़कर कर, अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करते हैं। 27 उस मामले में, वकील ने विशेष रूप से प्रस्तुत किया कि निर्णय को संभावित प्रभाव दिया जाना चाहिए।28 हालाँकि, इस निर्णय को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था।अपनी सहमति वाली राय में, न्यायमूर्ति भानुमति ने विधान की वैधता को बरकरार रखने या अन्यथा कर के भुगतान/वापसी के बारे में कर निर्धारकों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार किया।विद्वान न्यायाधीश ने करों की वापसी के लिए निर्धारिती के दावे को इस प्रकार खारिज कर दियाः

> "481. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धनवापसी के दावे की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब दावेदार यह स्थापित करता है कि उसने कर का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है।कोई धनवापसी नहीं दी जा सकती है ताकि किसी भी व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ हो जब उसने कर का बोझ नहीं झेला हो।इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कर का बोझ निर्धारिती द्वारा उपभोक्ताओं पर डाला गया है। **वर्तमान मामले में ऊपर निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह सामने आता है कि निर्धारिती धनवापसी का दावा नहीं कर सकते हैं, भले ही विवादित कानूनों को वैध या असंवैधानिक घोषित किया गया हो।जब तक निर्धारिती यह स्थापित**

नहीं करते कि उन्होंने कर का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है, तब तक वे धनवापसी का दावा नहीं कर सकते और खुद को अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्ध नहीं कर सकते।"

(जोर दिया गया)

17. एम. ए. डी. ए. (ऊपर) ने सूची II की प्रविष्टियों 49 और 50 के तहत राज्यों की विधायी क्षमता को बरकरार रखा है। यदि एमएडीए (उपरोक्त) को एक संभावित आवेदन दिया जाता है, तो निर्णय की तारीख से पहले अधिनियमित सभी प्रासंगिक कानूनों की वैधता, यानी 25 जुलाई 2024, को पिछले कानून की कसौटी पर जांचना होगा।सूची I की प्रविष्टि 54 और सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 23 और 50 की व्याख्या के पहलुओं पर पिछला कानून इंडिया सीमेंट (ऊपर) और केसोरम (ऊपर) में परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण अस्थिर था।किसी वैधानिक अधिनियम के पक्ष में हमेशा संवैधानिकता की धारणा होती है।यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों की जरूरतों के बारे में जानते हैं और उन्हें हल करने के लिए नीतियां बनाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं। कानून लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें तब तक हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि यह संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। यदि एम. ए. डी. ए. (उपरोक्त) को संभावित रूप से लागू किया जाता है, तो संबंधित कर विधियों को अमान्य माना जा सकता है, जिसके लिए राज्यों को कर निर्धारकों को एकत्र की गई राशि वापस करने की आवश्यकता होती है।चूँकि एमएडीए (ऊपर) ने संदर्भ का उत्तर दिया है और संघर्ष का समाधान किया है, इसलिए निर्णय को अग्रगामी रूप से लागू करना अनुचित होगा।

18. विद्वान महान्यायवादी ने संविधान पीठ पर भरोसा किया भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम में निर्णयकैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सर्विसेज इंक. इस बिंदु पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि इस न्यायालय ने संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को लागू किया है जहां पक्षों ने प्रचलित कानूनी स्थिति के आधार पर वाणिज्यिक संबंधों में प्रवेश किया है।भारत एल्यूमीनियम (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

> "197. भाटिया इंटरनेशनल (2002) 4 एस. सी. सी. में निर्णय 105] इस न्यायालय द्वारा 13-3-2002 पर प्रस्तुत किया गया था।तब से, उपरोक्त निर्णय का सभी उच्च न्यायालयों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर पालन किया गया है।वास्तव में, वेंचर ग्लोबल इंग में निर्णय। [(2008) 4 एस. सी. सी. 190] को भाटिया इंटरनेशनल [(2002) 4 एस. सी. सी. 105] में निर्णय के अनुपात के संदर्भ में 10-1-2008 पर प्रस्तुत किया गया है।इस प्रकार, पूर्ण न्याय करने के लिए, हम एतद्द्वारा आदेश देते हैं कि अब इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून इसके बाद निष्पादित सभी मध्यस्थता समझौतों पर संभावित रूप से लागू होगा।"

19. भारत एल्यूमीनियम (ऊपर) में निर्णय निर्णय की तारीख के बाद संपन्न मध्यस्थता समझौतों पर संभावित रूप से लागू किया गया था।हालाँकि, मामलों के वर्तमान समूह में कानूनी संदर्भ अलग है।संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। कानून इस अर्थ में वैध होना चाहिए कि यह विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर और संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।32 इसके अलावा, कर लगाने की शक्ति संप्रभुता की एक घटना है।33 यदि हम एम. ए. डी. ए. (उपर्युक्त) को एक संभावित आवेदन देते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी कि सूची II की प्रविष्टियों 49 और 50 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों के अनुसरण में राज्यों द्वारा

अधिनियमित कानून को कानून की स्थिति के आधार पर अमान्य किया जा सकता है जिसे खारिज कर दिया गया है।यह संवैधानिक रूप से न्यायसंगत परिणाम नहीं होगा।

20. इंडिया सीमेंट (उपरोक्त) के बाद, संसद ने 1991 से पहले राज्य विधानों के तहत बनाए गए खनिजों पर करों के अधिरोपण और संग्रह को मान्य करने के लिए खनिज (वैधीकरण) अधिनियम 1992 लागू किया।केंद्र सरकार ने राज्यों को खनिज राजस्व के नुकसान की भरपाई करने के लिए रॉयल्टी की दरों में भी वृद्धि की।34 रॉयल्टी दरों के पुनर्संतुलन ने राज्यों को खनिजों और खनिज अधिकारों पर उपकर के उन्मूलन के कारण हुई हानि से बचाया।निर्धारिती प्रस्तुत करते हैं कि मध्यावधि में उन्होंने प्रचलित कानून के संदर्भ में अपने वाणिज्यिक सौदे को संरचित किया है।इसके बाद, केसोरम (सुप्रा) ने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जो इंडिया सीमेंट (सुप्रा) में शासन से अलग था।केसोरम (ऊपर दिया गया) एक सक्रिय तथ्य है जिसके आधार पर कई राज्य विधानसभाओं ने पहले ही कर कानूनों को लागू कर दिया है।केसोरम (उपर्युक्त) से पहले की अवधि के लिए सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 49 और 50 से संबंधित करों की मांग करने से राज्यों को प्रतिबंधित करके राज्यों और कर निर्धारकों के वित्तीय हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

21. विद्वान महान्यायवादी ने बताया है कि निर्धारिती (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) द्वारा देय कुल राशि सरकारें पर्याप्त हैं और निर्धारिती पर भारी वित्तीय बोझ डालेंगी।वर्तमान संदर्भ के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय ने चिह्नित मामलों में अंतरिम आदेश पारित किए।इनमें शामिल हैं-(i) अपील की अनुमति दिए जाने की स्थिति में पुनर्भुगतान की अनुमति देते हुए कार्यवाही पर रोक की अस्वीकृति; 35 (ii) वसूली के लिए मांगी गई पूरी राशि के लिए बैंक गारंटी जमा करने वाले कर निर्धारकों के अधीन अंतरिम रोक का अनुदान; 36 और (iii) राज्यों को अपील लंबित

रहने तक कर की किसी भी मांग की वसूली के लिए कर निर्धारकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का निर्देश।37 बकाया राशि का भुगतान या गैर-भुगतान इस प्रकार अपील या याचिकाओं के परिणाम के अधीन किया गया था।यह एक तय कानूनी स्थिति है कि रोक के अंतरिम आदेश के लाभार्थी को अंतरिम आदेश के तहत रोकी गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है या परिणाम लाभार्थी के खिलाफ जाने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जाता है।

22. निर्धारिती द्वारा लंबित मामलों में देय कुल राशि, जो मूलधन और ब्याज है, उनके कुल निवल मूल्य की तुलना में पर्याप्त हो सकती है।भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने हलफनामे में कहा है कि एमएडीए (उपरोक्त) के पूर्वव्यापी आवेदन से विभिन्न राज्यों से लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की संचयी मांगों को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। अदालती कार्यवाही में देरी से निर्धारिती को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।39 इंडिया सीमेंट (ऊपर) के तीन दशकों से अधिक समय बीत जाने और मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजे जाने के एक दशक से अधिक समय बीत जाने को ध्यान में रखते हुए, यदि राज्य सरकारें कर निर्धारकों से बकाया मूलधन पर अर्जित बकाया ब्याज को माफ कर देती हैं, तो इक्विटी संतुलित होगी।यह निर्देश सभी कर निर्धारकों पर लागू होता है, भले ही उन्होंने संबंधित कानूनों की वैधता को चुनौती देते हुए इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया हो।

23. कार्यवाही के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि कुछ राज्य एमएडीए (ऊपर) में निर्णय से पहले उपार्जित बकाया एकत्र नहीं करना चाहते हैं।यह निर्धारित करना राज्य विधानसभाओं का विशेषाधिकार है कि 25 जुलाई 2024 से पहले की अवधि के लिए बकाया राशि को छोड़ना है या नहीं।

ई. निष्कर्ष

24. यह दलील कि एमएडीए (ऊपर) को अग्रगामी प्रभाव दिया जाना चाहिए, खारिज कर दिया जाता है।

25. पिछली अवधि से उत्पन्न होने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित शर्तों को लागू करने के लिए निर्देशित किया जाता हैः

    ए. राज्य एम. ए. डी. ए. (ऊपर) में निर्णय में निर्धारित कानून के संदर्भ में सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 49 और 50 से संबंधित कर की मांग, यदि कोई हो, कर सकते हैं या नवीनीकृत कर सकते हैं, पर कर की मांग 1 अप्रैल 2005 से पहले किए गए लेनदेन पर लागू नहीं होगी।

    बी. कर की मांग के भुगतान का समय 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली बारह वर्षों की अवधि में किश्तों में विभाजित किया जाएगा; और

    सी. 25 जुलाई, 2024 से पहले की अवधि के लिए की गई मांगों पर ब्याज और जुर्माना सभी कर निर्धारकों के लिए माफ कर दिया जाएगा।

मामले का परिणामः निर्देश जारी किया गया।

हेडनोट्स द्वारा तैयार किया गया:

मुकुंद पी उन्नी, होनी. एसोसिएट एडिटर

शादान फरासत, अधिवक्ता द्वारा सत्यापित

1 1999 की सिविल अपील संख्या 4056-4064; 2024 आई. एन. एस. सी. 554 ("माडा")।
2 [1989] सप.1 एससीआर 692:(1990) 1 एससीसी 12 [2024] 8 एस. सी. आर.
3 (2004) 10 एस. सी. सी 201
4 ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कं. वि.सनबर्स्ट ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी, 287 यू एस 358 (1932)

5 लिंकलेटर बनाम वॉकर, 381 यूएस 618 (1965)

6 चिकोट काउंटी जल निकासी जिला।बनाम बैक्सटर स्टेट बैंक, 308 यू. एस. 371 (1940)

7 चिकोट काउंटी जल निकासी जिला (ऊपर)

8 404 यूएस 97 (1971)

9 भारत का संविधान, अनुच्छेद 13

10 शंकर प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ (1951) एस. सी. सी. 966; सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1964) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 25।

11 [1973] सप.1 एस. सी. आर 1:(1973) 4 एससीसी 225

12 बेलसुंड शुगर कं. लिमिटेड बनामबिहार राज्य (1999) 9 एस. सी. सी. 620 [112]

13 सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य (2001) 5 एस. सी. सी. 519 [24]

14 बाबूराम बनाम सी. सी. जैकब (1999) 3 एस. सी. सी. 362 [5]

15 सोमैया ऑर्गेनिक्स (ऊपर) [37]

16 रेमंड लिमिटेड बनाममध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (2001) 1 एस. सी. सी. 534 [24]; सरवन कुमार बनाम मदन लाल अग्रवाल (2003) 4 एस. सी. सी. 147 [15]; रमेश कुमार सोनी बनाम एम. पी. राज्य (2013) 14 एस. सी. सी. 696 [21]।

17 एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 261 [94]; अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1997) 5 एससीसी 201 [54]

18 एम ए मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य (2003) 7 एससीसी 517 [8]; श्री महावीर ऑयल मिल्स बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1996) 11 एससीसी 39 [27]

19 न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम सी. आई. टी. (2023) 6 एस. सी. सी. 649 [84]

20 [1990] सप।3 एससीआर 248:(1991) 1 एस. सी. सी. 588

21 [1993] सप.2 एससीआर 576:(1993) 4 एससीसी 727 [2024] 8 एस. सी. आर.

22 गोलक नाथ (ऊपर) [53]; सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 1 एस. सी. सी. 109 [89]

23 गौरव कुमार बनाम भारत संघ, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1841 [108]

24 इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम टी. एन. राज्य (1990) 1 एस. सी. सी. 12 [35]; उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1991) पूरक (1) एस. सी. सी. 430 [69]

25 [2001] 2 एससीआर 287:(2001) 3 एससीसी 654

26 [2016] 10 एस. सी. आर 1:(2017) 12 एससीसी 1

27 अतिबाड़ी चाय कंपनी लिमिटेड बनामअसम राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 232; ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम.राजस्थान राज्य, ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1406

28 जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (ऊपर) [897] [2024] 8 एस. सी. आर.

29 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) 5 एससीसी 1 [45]

30 चरणजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ [1950] एससीआर 869; बिहार राज्य बनाम बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड (1997) 2 एससीसी 453 [17]

31 [2012] 12 एससीआर 327:(2012) 9 एससीसी 552 558

32 मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम.भारत संघ (1997) 5 एस. सी. सी. 536 [25]

33 जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (ऊपर) [17]

34 'खनिज रॉयल्टी', भारत सरकार, खान मंत्रालय (2011) 16 देखें।

35 2002 की सिविल अपील सं. 5329; 2006 की सिविल अपील सं. 4745; 2010 की सिविल अपील संख्या 4478

36 2008 की सिविल अपील संख्या 6498

37 2013 की सिविल अपील संख्या 874; 2011 की सिविल अपील संख्या 3642; 2016 की सिविल अपील संख्या 10082; 2017 की सिविल अपील संख्या 4588।

38 राजस्थान राज्य बनाम जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड (2011) 12 एससीसी 518 [23]; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रेम चोपड़ा, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1770 [24]

39 के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 663 [339] 560 देखें।

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।